राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे—III/पार्ट—III/5347 दिनांक :— 06/03/2020

आदेश संख्या 32/2019—20

कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त भर्ती परीक्षा—2013 में दिनांक 07.06.2017 को घोषित परिणाम में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु चयन कर अभिस्तावना भिजवाने पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरणानुसार कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदस्थापित किया गया था :—

क्र. सं.	कनिष्ठ लेखाकार का नाम (सर्वश्री)	पिता का नाम	रोल नम्बर	07.06.2017 के परीक्षा परिणाम के अनुसार मेरिट संख्या (कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु)	पदस्थापन कार्यालय का नाम	एस.बी.सी. रिट याचिका सं.
1	2	3	4	5	6	7
1.	मानविन्द्र कौर	मंजीत सिंह	690607	1660/2013	जिला कलेक्टर, राजस्व विभाग, श्रीगंगानगर	3522/2019
2.	रामचन्द्र गोदारा	जोगाराम गोदारा	482053	472/2013	मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, बीकानेर	3606/2019

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा घोषित उक्त परीक्षा के रिशफल परिणाम दिनांक 17.05.2018 के अनुसार उक्त अभ्यर्थियों द्वारा उनके परीक्षा आवेदन—पत्र में तहसील राजस्व लेखाकार पद हेतु अंकित प्रथम सेवा प्राथमिकता क्रम एवं प्राप्तांकों के आधार पर उनका चयन कनिष्ठ लेखाकार पद से तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर किया गया और इस कारणवश उनका कनिष्ठ लेखाकार के पद पर चयन स्वतः ही अधिक्रमित हो गया। राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उनको तहसील राजस्व लेखाकार पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए पदस्थापन किया गया।

राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के फलस्वरूप, इस विभाग के आदेश सं. 358/2018—19 दिनांक 01.03.2019 के द्वारा उनके कनिष्ठ लेखाकार पद की नियुक्ति के आदेश को निरस्त कर तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया था, किन्तु उक्त अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में उक्त एस.बी. सिविल रिट याचिकाऐं दायर कर दिनांक 06.03.2019 एवं 08.03.2019 को राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा जारी उनके तहसील राजस्व लेखाकार पद के नियुक्ति आदेश एवं निदेशालय द्वारा जारी कार्यमुक्ति आदेश सं. 358 दिनांक 01.03.2019 पर स्थगन प्राप्त किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निदेशालय के आदेश सं. 156 दिनांक 12.04.2019 के अनुसार निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये उक्त कार्यमुक्ति आदेश क्रमांक 358 दिनांक 01.03.2019 की क्रियान्विति को उक्त रिट याचिकाओं में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया था।

चूँकि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3522/2019 एवं 3606/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय/आदेश. दिनांक 05.03.2020 के अनुसार उक्त रिट याचिका/याचिकाओ को अस्वीकार करते हुऐ खारिज कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही समाप्त हो गये है। अतः उक्त अभ्यर्थियों को उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से तुरन्त प्रभाव से निदेशालय स्तर से एतद्द्वारा कार्यमुक्त किया जाता हैं एवं उन्हे निर्देशित किया जाता हैं कि वे राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा जारी तहसील राजस्व लेखाकार के पद के नियुक्ति आदेशों की पालना में तुरन्त पदस्थापनानुसार कार्यग्रहण करें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

(F:\ORDERS-----------------.docx)

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे–III/पार्ट–III/ 5347 दिनांक :– 06/03/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निबन्धक, राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर।
5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख हैं कि संबंधित अभ्यर्थी को तुरन्त कार्यमुक्त कर उनकी सेवा पुस्तिका एवं निजी पत्रावली उनके नवीन पदस्थापन कार्यालय में तत्काल भिजवाने की व्यवस्था करें।
6. संबंधित कोषाधिकारी,.. को सूचनार्थ एवं आदेश की पालनार्थ।
7. संबंधित अभ्यर्थी श्री ....
8. उपनिदेशक (एसीपी), कोष एवं लेखा विभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस (कॉईन्स) में अपडेशन हेतु।
9. निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. अति. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक–III)
11. वरिष्ठता सीट (कार्मिक–III) निदेशालय कोष एवं लेखा।
12. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)

(115)

(F:\ORDERS-----------------.docx)